



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

पत्रांक—सी.एस.जे.एम.वि.वि./R.Camp/५१२ /२०२१

दिनांक: ३० /११/२०२१

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

विषय:— सत्र 2020–21 में स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में प्रवेशित छात्र/छात्राओं (संस्थागत/भूतपूर्व) को परीक्षा फार्म भरने एवं शुल्क जमा किए जाने के अन्तिम अवसर प्रदान करने हेतु जमा अतिरिक्त विलम्ब शुल्क की वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया आदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके महाविद्यालय में सत्र 2020–21 में स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में प्रवेशित छात्र/छात्राओं (संस्थागत/भूतपूर्व) को परीक्षा फार्म भरने एवं शुल्क जमा किए जाने के अन्तिम अवसर प्रदान करने हेतु छात्रहित में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यालय आदेशों के द्वारा विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरे जाने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के द्वारा रु० 250/- विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरे जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त आदेश के क्रम व कोविड महामारी के दृष्टिगत परीक्षा फार्म भरने हेतु छात्र/छात्राओं से रु० 250/- से अधिक (रु० 500/- अथवा 2,500/- या रु० 5,000/-) विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी विलम्ब शुल्क वापस किये जाने का निर्णय विचाराधीन है।

अतः आपसे आपेक्षा है कि आपके महाविद्यालय के ऐसे छात्र/छात्राओं जिन्होंने विलम्ब शुल्क का भुगतान करते हुये परीक्षा फार्म भरा है, की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध लिंक <https://csjmkanpur.in/feerefundapp> पर अनिवार्य रूप से दिनांक 10.12.2021 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि शुल्क वापसी पर नियमानुसार निर्णय लिया जा सके।

मवदीय

डा०(अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रभारी, पी०एम०य०० सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को सम्बन्धित महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन व विश्वविद्यालय के होम पेज पर अपलोड कराने एवं उक्त लिंक को सक्रिय (Activate) कराने का कष्ट करें।
- परीक्षा नियंत्रको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से महाविद्यालयों के माध्यम से छात्र/छात्राओं को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- निजी सचिव कुलपति, मा. कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- वैय० सहा० वित्त अधिकारी/कुलसचिव।
- सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव
४